न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर) (46)

पीठासीन अधिकारी :– अमिताभ कौशिक (आर.ए.एस.)

परिवाद संख्या :– 34/2016

श्याम सुन्दर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर।

—आवेदक

बनाम

1. श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (विक्रेता)
मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल,
भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
2. श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (मालिक)
मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल,
भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर
निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15/03/2017

उक्त परिवाद प्रार्थना–पत्र श्री श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि श्याम सुन्दर दिनांक 28/09/2015 को कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा है और उसे राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच. एफएसएस/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29/11/11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया था। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएस/(एफ–28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार श्याम सुन्दर का कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जयपुर आवंटित किया गया है। परिवादी दिनांक 28/09/2015 को 5.30 पी.एम. मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पर रतनलाल वर्मा के साथ पहुंचा। वहाँ पर श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर उपस्थित थे। श्री रामसिंह गुर्जर को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री रामसिंह गुर्जर ने स्वयं को फर्म का विक्रेता होना बताया एवं उन्होंने मौके पर वेट रजिस्ट्रेशन –03 एवं प्रारूप 8 की प्रतियां प्रस्तुत की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में 25 गत्ते के कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 30 पेट बोतल 1/2 लीटर वजनवाली) रिफाइण्ड ऑयल (नीतू ब्राण्ड) की कुल 750 सील्ड पेट बोतले आम जनता को

Scanned by CamScanner

विक्रय हेतु रखी हुई थी। इनमें मिलावट/मिसब्राण्ड का शक हाने पर वास्ते जांच हेतु एक कार्टून में से सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल (नीतू ब्राण्ड) की 04 सील्ड पेट (4X1/2 liter) खरीद कर उनकी कीमत 140/– रूपये विक्रेता श्री रामसिंह गुर्जर को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने से पहले मौके पर फार्म संख्या 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामसिंह गुर्जर ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की प्रति विक्रेता श्री रामसिंह गुर्जर को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल (नीतू ब्राण्ड) पर प्रत्येक सील बन्द बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर जोन के कोड एवं क्रमांक ए.सी.–780 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 ए.सी.–780 नियमानुसार चारो नमूना बोतलों के नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना डिब्बों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के संलग्न की गई। सीलबन्द नमूना भाग मय दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा करवाकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द कर नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2534/एक्ट/2015/1951 दिनांक 18/11/2015 में उक्त नमूना मिसब्राण्ड पाये जाने के पश्चात अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने उक्त जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व नियम 2011 के नियम 2.4.3. के अन्तर्गत नमूने के द्वितीय भाग को जांच हेतु रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद को भिजवाया गया। उक्त नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या सी. 902/15–आर.एफ.एल./154 दिनांक 08.02.2016 में उक्त नमूना मिसब्राण्ड होना जाने के पश्चात अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से नमूने की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/2534/एक्ट/2015/1951 दिनांक 18/11/2015 एवं रेफरल लेब की जांच रिपोर्ट संख्या सी. 902/15–आर.एफ.एल./154 दिनांक 08.02.2016 को पत्र क्रमांक एलएसएस/2016/87 दिनांक 16/02/2016 के द्वारा विक्रेता को भिजवाते हुए एक प्रति दी गई तथा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अतः अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल (नीतू ब्राण्ड) का

अतिरिक्त कलक्टर
कोटपूतली, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अनुसार दण्डनीय है। इसलिए अभियुक्त पर भारी जुर्माना आरोपित किया जावे। उपरोक्त प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए अभियुक्तगण को दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को वास्ते सुनवाई जर्ये नोटिस सूचित किया गया।

गैर सायलान की ओर से जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि आवेदक द्वारा किसी प्रकार का कोई निरीक्षण मौके पर नहीं किया गया ना ही कोई गत्ते के कार्टून में डबल फिल्टर तेल विक्रय हेतु रखा गया था, ना ही विक्रेता रामसिंह से कोई नमूने लेने की रसीद प्राप्त की एवं ना ही उसके हस्ताक्षर करवाये गये। 5ए. की रिपोर्ट कार्यालय में बैठे-बैठे आवेदक ने तैयार कर रामसिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रकरण अशुद्व मन एवं अस्वच्छ तथ्यों से असल तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया देखने मात्र से डिस्चार्ज होने योग्य है।

बहस सुनी गयी तथा प्रकरण के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। गैर सायलान एवं उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में वर्णित तथ्यों को पूर्णतया गलत होना बताया। परन्तु उनकी ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई बचावेजी रिकॉर्ड एवं शाहदत प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि दूसरी ओर आवेदक द्वारा अन्वेषण कार्यवाही में गवाहों की उपस्थिति में लिये गये नमूनों की लैबोट्री से करवाई गई जांच उक्त खाद्य पदार्थ सोयाबीन रिफाइण्ड आयॅल (नीतू ब्राण्ड) तेल को मिस ब्राण्ड होना पाया गया है, जो पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट से प्रमाणित है। इस प्रकार गैर सायलान द्वारा सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का स्पष्ट उल्लंघन करने के दोषी होना प्रकट होते है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अनुसार दण्डनीय है। इसलिए उक्त प्रावधानों के अनुसरण में गैर सायलान को जुर्माना से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्तगण/गैर सायलान (1) श्री रामसिंह गुर्जर पुत्र श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (विक्रेता) मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (2) श्री ग्यारसीलाल गुर्जर (मालिक) मैसर्स श्रीराम ऑयल मिल, भोमियाजी मन्दिर के पास टसकोला रोड़, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर निवासी ढाणी राजोड़ा रामपुरा, ग्राम रामपुरा वाया पण्डितपुरा पो0 पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर पर 100000 (एक लाख रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। जर्ये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा करवाकर रसीद चालान पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 03/03/2017 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी,
एवं
अतिरिक्त कलक्टर
कोटपूतली, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner